शोध–प्रभा (ISSN : 0974-8946)
(A REFERRED & PEER- REVIEWED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

पंचायतीराज संस्थान में महिला जनप्रतिनिधित्व – प्राचीन रूढ़िवादिता का अंत

प्रतिभा तिवाडी
शोधार्थी, शिक्षा और पद्धति संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला, विश्वविद्यालय, महलां, जयपुर

डॉ. लाल कृष्ण शर्मा
शोध पर्यवेक्षक, शिक्षा और पद्धति संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला, विश्वविद्यालय, महलां, जयपुर

भूमिका –

यह सत्य है कि सदियों से नारी को कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में समाज ने स्थान नहीं दिया। धर्म शास्त्रों में भी नारी को बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के विधान का उल्लेख है।

परंतु वर्तमान अतीत से भिन्न है अब नारी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हर प्रकार से तथा हर क्षेत्र में स्वतंत्रता एवं अपनी अलग पहचान चाहती हैं वो अब नहीं चाहती कि उसे घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया जाए । अब पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां समानता चाहती हैं। महिलाओं की इन्हीं आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को पूरा किया बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर बनी पंचायत राज व्यवस्था ने जिसमें संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी पद आरक्षित कर दिए, जिसे बाद में अधिकतर राज्यों ने बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया।

उस संविधान संशोधन का ही परिणाम है कि आज पंचायती राज में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 45.15 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं जो कि उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और ताकत का प्रतीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अहम रही हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि "आज बहुत कम महिलाएं राजनीति में भाग लेती है और इनमें से अधिकांश राजनीति पर स्वतंत्र चिंतन नहीं करती। वे अपने परिजनों के आदेशों और राय का अनुसरण करके संतुष्ट है। अपनी निर्भरता का एहसास होने पर ही महिलाएं स्त्री अधिकारों की आवाज बुलंद करती है। राजनीति में सहभागी महिलाओं को चाहिए कि ऐसा करने की बजाय स्त्रियों के नाम मतदाता सूची में लिखाए, उन्हें राजनीति की व्यवहारिक शिक्षा दें या दिलाने की व्यवस्था करें। इससे पुरुष उनकी शक्ति और त्याग की क्षमता को पहचानने और उन्हें प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठाने के लिए बाध्य होंगे। हरिजन 21–4–1946, पृष्ठ संख्या 96"।[1] पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया कि वे अपने कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व से इस पुरुष प्रधान समाज और देश ही

---

1. संकलन एवं संपादन –आर के प्रभु तथा यू आर राव , ' महात्मा गांधी के विचार ', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नवजीवन पब्लिक सिंह हाउस अहमदाबाद पृष्ठ संख्या – 297।

नहीं पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दें।

पंचायती राज संस्थाओं ने सिर्फ महिला सहभागिता और नेतृत्व को ही बढ़ावा नहीं दिया अपितु वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिताओं तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य किया है। आज नारी ने समाज के रूढ़िवादी विचारो से स्वयं को उभार कर अलग पहचान बनाई है।

विभिन्न काल खंडों में किसी ना किसी रूप में नारी का शोषण होता रहा है तथा उन्हें अधिकार एवं स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता रहा है। यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य ही है कि जिस नारी को वैदिक काल में देवी का रूप माना जाता था मध्यकाल आते– आते उसका स्थान समाज में निम्न हो गया और वो हर प्रकार से पुरुष के अधीन हो गई।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला जन प्रतिनिधित्व और संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारों का ही परिणाम है कि आज ग्रामीण महिलाओं ने सकारात्मक जनप्रतिनिधित्व द्वारा पुरुष प्रधान समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। जो निर्भय और निसंकोच होकर समाज के हित में फैसले लेकर उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

शब्द संकेत –

धर्मशास्त्र, महिला प्रतिनिधित्व, सहभागिता, आकांक्षा, सविधान, निसंकोच, साहित्य, वैदिक युग, मध्यकाल, रूढ़िवादिता, पंचायती राज, कुप्रथाएं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आत्म गौरव।

पंचायती राज–पुरुष बनाम महिला प्रतिनिधित्व–

भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है अगर भारतीय सामाजिक संगठन और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों के संदर्भ में देखना होगा तथा उसमें संतुलन लाना होगा। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं खुशहाल समाज के लिए स्त्री एवं पुरूष दोनों के अधिकारों, कर्तव्यों में सहज संतुलन होना जरूरी है ।

वैदिक काल के बाद में भारत की सामाजिक एवं राजनैतिक यात्रा–क्रम के मंथन से ज्ञात होता है कि रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती जैसे कुछ परिस्थिति वश उदाहरणों को छोड दें तो, ब्रिटिश काल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से मध्यकाल तक राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व ना के बराबर रहा। राजनीति ही नहीं साहित्य शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई थी। उन्हें ना तो समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी और ना ही प्रतिनिधित्व।

समय के साथ परिस्थितियों में बहुत उतार–चढ़ाव आए विशेषकर उन्नीसवींष्शताब्दी के प्रारंभिक काल से ही भारतीय महिलाओं में नव चेतना का आविर्भाव हुआ। महिलाओं का अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष रहा और उन्होने इस संघर्ष में विजय प्राप्त करी है। आखिरकार महिलाओं के हक में मूल बदलाव 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में में महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था से आया जिसने महिलाओं को ना सिर्फ राजनीतिक सहभागिता प्रदान की अपितु उन्हें पुरुषों के समान लाकर खड़ा कर दिया।

वर्तमान परिपेक्ष में देखे तो पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व अतीत से उलट है आज पंचायती राज ही नहीं देश के हर संवैधानिक एवं निजी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर सहभागी हैं। "2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 45.15 फीसदी महिला जन प्रतिनिधित्व उनकी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित

करने के लिए पर्याप्त है"।[2]

पंचायती राज व्यवस्था की ही देन है कि आज ग्रामीण महिलाएं शिक्षा, अपने अधिकारों एवं समाजिक दायित्वों के प्रति सजग एवं जागरूक हैं वो पारंपरिक रूढ़िवादिता और कुरीतियों को पीछे छोड़ आधुनिकता के युग में खुद को ढाल रही हैं और देश की सेवा में खुद को प्रत्यक्ष रुप से समर्पित कर रही हैं। वर्तमान परिपेक्ष में देखे तो पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व अतीत से उलट है आज पंचायती राज ही नहीं देश के हर संवैधानिक एवं निजी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर सहभागी हैं।

पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधि – स्त्रियों की बदलती स्थिति

समाज में संतुलन, विकास तथा समृद्धि में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक नारी ना सिर्फ संतानों को जन्म देती हैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है तथा समाज को भावी सदस्य तथा नागरिक प्रदान करती हैं अगर स्त्री या माता अथवा ग्रहणी की स्थिति, संस्कार, शिक्षा आदि उचित नहीं होंगे तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती हैं ?

प्राचीन भारत में (वैदिक व महाकाव्य युग में) स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता था और उन्हें पृथ्वी को देवी गुणों का प्रतीक माना जाता था। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में भी नारी के लिए उल्लेख मिलता है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता (मनुस्मृति 3/56)" अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती हैं वहां पर देवता भी निवास करते हैं।[3] इससे स्वत ही प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में स्त्री – पुरुष की सामाजिक स्थिति समान थी।

परंतु मध्यकाल आते–आते उन पर सामाजिक रूढ़िवादिताओ के नाम पर हजारों बंदिशें समाज ने थोप दी। उन्हें हर प्रकार से पुरुष के अधीन करने का प्रयास किया गया तथा उनसे उनका प्रतिनिधित्व, अधिकार और स्वतंत्र सब कुछ छीन लिया गया। उनकी सामाजिक कार्य और राजनीतिक सहभागिता में रोक लगा दी गई तथा नारी ने खुद को समाज और चारदीवारी के भीतर कैद कर लिया।

परंतु वर्तमान काल में स्त्रियों की स्थिति में तेजी से सकारात्मक बदलाव आए और उन्होंने प्राचीन रूढ़िवादिताओं का आईना दिखाते हुए खुद को उभारने का कार्य किया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पंचायती राज में महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण ने जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास है दिया और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में समाज में पेश किया है।

निश्चित रूप से प्राचीन समय से ही हाशिए पर पड़ी महिला शक्ति और उसमें भी पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों की महिलाएं पंचायती राज में अपनी सहभागिता और आरक्षण बीना स्वयं को इन सामाजिक असमानता और शोषण से मुक्त नहीं करा पाती। आज पंचायती राज संस्थान में उनके प्रतिनिधित्व की बदौलत ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामान्य क्षेत्र में उनकी स्थिति प्राचीन और मध्यकाल से अधिक ऊंची हैं।

पंचायती राज में महिला सहभागिता –प्राचीन रूढ़िवादिता का अंत

---

2. डॉ . कृष्ण चंद्र चौधरी , ' पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ' , 2018 , पृष्ठ संख्या – 37।

3.वीरेंद्र प्रकाश शर्मा , ' समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं ' , आर .बी. डी. पब्लिकेशन –नई दिल्ली ,2022–23।

पंचायती राज संस्थानों में महिला सहभागिता एवं उनके प्रतिनिधित्व ने कई पुरानी कुप्रथाओं, रूढ़िवादिताओ एवं सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने का कार्य किया है और समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा निम्न प्रमुख रूढ़िवादिता एवं सामाजिक बुराइयों का अन्त हुआ है –

पुरुष प्रधानता से मुक्ति एवं **स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण –**

पंचायती राज में महिला जन प्रतिनिधित्व प्रतीक है सत्ता में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी का। इसी भागीदारी ने पुरुष प्रधानता से औरतों को मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि आज देश के उच्च पदों को भी महिलाएं सुशोभित कर रही हैं। कल तक हर प्रकार से पुरुष प्रधानता में जीवन यापन करने को मजबूर औरत आज स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रही हैं साथ ही समाज और देश के विकास के लिए निसंकोच होकर कार्य कर रही है ।

एक समय था जब सामाजिक रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं के नाम पर औरत को बंदिशों में बांधकर उनके स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन किया जाता था पर वर्तमान में नारी की स्थिति अतीत से भिन्न है उनका पंचायती राज और अन्य क्षेत्रों में विशाल जनप्रतिनिधि इस बात का प्रमाण है। अब उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और नारी अपने स्वाभिमान के प्रति अधिक सजग हैं वो किसी भी तरह की पराधीनता में नहीं रहना चाहती। उनका अपना एक पृथक स्वतंत्र जीवन है जो किसी पर आश्रित नहीं। यह सब अगर संभव हो पाया है तो इसका मूल आधार पंचायती राज में उनका जनप्रतिनिधित्व है जिसके बदौलत उनको इन प्राचीन रूढ़िवादिता उसे मुक्ति मिली।

राजनीतिक चेतना का विकास –

पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण के बाद स्त्रियों की राजनीतिक चेतना एवं भागीदारी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है ।

यद्यपि भारत के संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए परंतु महिलाओं की स्थिति को सुधारने का मूल आधार पंचायती राज संस्थान बना जिसने उन्हें अपने अधिकारों एवं अवसरों का लाभ देकर उनके प्रतिनिधित्व से समाज के प्राचीन रूढ़िवादी दृष्टिकोण में बदलाव लाने का कार्य किया। पंचायती राज की स्थापना से लेकर अब तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व में जो परिवर्तन हुआ निश्चित रूप से यह उनकी राजनीतिक चेतना व जागरूकता का ही परिणाम है।आज स्त्री घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही अब वो पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रपति पद तक हर जगह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। ग्राम विकास की योजनाओं को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करवाकर आज महिलाओं ने स्वयं इस मिथ्या को जड मूल से समाप्त कर दिया है कि वे नेतृत्व के लिए नहीं बनीं है

पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति –

पितृसत्तात्मक व्यवस्था अर्थात समाज में सत्ता पुरुष में निहित होना और समाज एवं परिवार का पुरुष प्रधान होना। कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय समाज और परिवार सर्वदा पुरुष प्रधान रहा है जिसमें सदैव नारी का शोषण होता रहा है एवं उनका जीवन किसी के अधीन या संरक्षण में बीता है। इस व्यवस्था के कारण ही नारी का स्थान पुरुष से सर्वदा निम्न रहा और इसने अनेकों कुप्रथाओं को जन्म

दिया ।

पंचायती राज संस्थान में महिला प्रतिनिधित्व और उनके आरक्षण ने इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जड़ सहित नष्ट कर दिया और स्त्री को पुरुष के समान लाकर खड़ा कर दिया। आज नारी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के विरुद्ध डटकर खड़े रहने और विरोध करने का साहस रखती हैं और पुरुषों के बराबर सहभागिता एवं अधिकार चाहती हैं।

अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के विरुद्ध प्रताड़नाओं में कमी –

पंचायती राज में आज महिला और उसमें भी विशेष तौर पर पिछड़ी और अनुसूचित जाति – जनजाति से आने वाली महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ही परिणाम है कि आज अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जो प्रताड़नाएं और सामाजिक रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त थी उनकी समाप्ति हुई हैं ।

समाज में समान सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व के बिना इन जातियों को सदैव हाशिए पर तथा अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़ा और सामाजिक प्रथाओं के नाम पर कई बंदिशों में रहने को विवश हुए। पंचायती राज में इनके प्रतिनिधित्व ने इन रूढ़िवादिता के उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा किया।

सामाजिक जागरूकता का विकास –

स्त्रियों के प्रति सामाजिक जागरूकता में पिछले दशकों से काफी विकास हुआ है अब वे राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही है। तथा हर क्षेत्र में अपने और समाज के हित में आवाज उठा रही। परंतु पंचायती राज उनके प्रतिनिधित्व से पहले उनकी स्थिति वर्तमान से भिन्न थी वो सामाजिक बुराइयों जैसे – घरेलु हिंसा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, बेमेल विवाह, उच्च शिक्षा से वंचित रखना, दहेज आदि से ग्रसित थी और एक पुरुष प्रधान समाज में मानों वो बीना स्वयं के अस्तित्व के जीवन यापन करने को विवश थी ।

यह महिला जनप्रतिनिधित्व का ही परिणाम है कि आज महिलाओं को लेकर धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है तथा इन सामाजिक प्रतिबंधों का अन्त हुआ है।

स्त्री – शिक्षा क्षेत्र में प्रगति –

शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय महिलाएं पिछड़ी रही है उन्हें पढ़ने के अवसर बहुत कम उपलब्ध होते थे। यह संविधान द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों एवं पंचायत राज में उनकी सहभागिता के कारण आयी नई चेतना के कारण ही संभव है कि आजादी के समय जो महिला साक्षरता अपने न्युनतम स्तर पर थी वो "वर्ष 2011 आते–आते 65.46 प्रतिशत हो गई" ।[4] आज स्त्री शिक्षा को लेकर समाज पहले से कई गुना अधिक जागरूक हुआ है और स्वयं स्त्री और समाज को उनकी शिक्षा का महत्व समझ आया है जिसकी बदौलत महिलाओं ने कीर्तिमान एवं आयाम स्थापित किये है।

निष्कर्ष –

निश्चित रूप से पंचायती राज में महिला जन प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए आत्म गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज उनको प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों और महिला स्वप्रेरणा एवं

4. भारत ,महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ,कुल भारत की जनगणना , 2011 नईदिल्ली ।

सहभागिता का ही परिणाम है कि पंचायती राज के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग आधा भाग (45.15 फीसदी) महिला प्रतिनिधि के रूप में सुशोभित हो रहा है।

यद्यपि इसका एक कठोर पहलू यह भी है कि स्त्रियों की पूर्ण रूप से दशा सुधारने, समानता लाने में अभी अनेक व्यापक प्रयास करने की जरूरत है जिसमें अभी भी बहुत समय लगेगा परंतु एक सुखद पहलू यह भी है कि आजादी के बाद से अब तक स्त्री की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है और उनमें पंचायती राज संस्थान में सहभागिता के कारण जो चेतना जागृत हुई है उससे अब वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं पूर्ण रूप से अपने अवसरों का लाभ लेते हुए राष्ट्र की सेवा में अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ देगी ।

सरकारें निरंतर इसके लिए प्रयास–रत हैं क्योंकि जब स्वयं नारी की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक आदि दृष्टिकोण से निम्न होगी तो स्वाभाविक है परिवार, समाज और राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती।

सन्दर्भ –

1. संकलन एवं संपादन –आर के प्रभु तथा यू आर राव, 'महात्मा गांधी के विचार', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नवजीवन पब्लिक सिंह हाउस अहमदाबाद।
2. डॉ. मीनाक्षी पवार– 'पंचायती राज और ग्रामीण विकास', राधा प्रकाश, 2013 ।
3. महाजन एस–'सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2009।
4. महिपाल–'पंचायत में महिलाएं', राष्ट्र पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2017।
5. मंजुलता–'भारतीय सामाजिक समस्याएं', अर्जुन पब्लिक हाउस, नई दिल्ली, 2012।
6. राजकुमार–'भारतीय नारी–सामाजिक अध्ययन', अर्जुन पब्लिक हाउस, नई दिल्ली, 2003।
7. वीरेंद्र प्रकाश शर्मा–'समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं', आर. बी. डी. पब्लिकेशन , जयपुर।
8. डॉ कृष्ण चन्द्र चौधरी – 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी', 2018।
9. भारत, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, कुल भारत की जनगणना, 2011, नई दिल्ली।